शोध पत्र-हिन्दी

पर्यावरण संरक्षण हेतु पर्यावरण विधियों की महती भूमिका

(अन्तर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, न्यायिक-परिप्रेक्ष्य में)

* मुकेश कुमार मालवीय

विश्वस्तर पर एवं 1972 की स्टॉकहोम की घोषणा के बाद भारतीय संविधान एवं अन्य विधियों में पर्यावरण संरक्षण को शामिल किया गया तथा उच्चतम न्यायालय ने पर्यावरण के अधिकार को मूलाधिकार के रूप में मान्यता दी।

पर्यावरण से तात्पर्य –परि + आवरण = पर्यावरण है जिसका अर्थ 'चारों तरफ का घेरा' है। जीवित एवं अजीवित वस्तुएँ मिलकर पर्यावरण का निर्माण करती है। पर्यावरण संरक्षण अधि. 1986 की धारा 2(9) के अनुसारः– ''पर्यावरण में जल, वायु तथा भूमि और मानव जीव, अन्य जीवित प्राणियों के साथ पादप एवं सूक्ष्मजीव भी शामिल है।'' पर्यावरण प्रदूषण के कारणः– 1. जनसंख्या वृद्धि, 2. औद्योगिक विकास, 3. कृषि विकास, 4. नगरीकरण एवं 5. आधुनिक प्रौद्योगिकी, जिनसे निम्न प्रकार का प्रदूषण फैलता हैं– जल, वायु, भूमि, खाद, ध्वनि तथा रेडियो धर्मी प्रदूषण इसके अलावा प्राकृतिक प्रदूषण भूकम्प बाढ़ सूखा, चक्रवात से तथा कृत्रिम प्रदूषण औद्योगिकरण से फैल रहा है।

क्या पर्यावरण एक मानवाधिकार हैं ? बीसवीं शताब्दी के अंतिम तीन दशकों में पर्यावरण संरक्षण विधि की क्रांति आयी। पर्यावरण को जीने, समुचित जीवन स्तर, स्वास्थ्य, भोजन एवं आवास के अधिकार के साथ स्वच्छ पर्यावरण के मानवाधिकार के रूप में माना गया। अमेरिकी मानवाधिकार अभिसमय, 1988 के Arti ll में ''प्रत्येक व्यक्ति को स्वच्छ पर्यावरण में जीने का अधिकार दिया गया। 1972 की घो णा के अलावा 1994 के मानवाधिकार एवं पर्यावरण सिद्धांत में पोषणीय विकास और स्वस्थ पर्यावरण की बात कही गयी है। {एम.सी.मेहता बनाम भारत संघ 1988} में भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार को मूलाधिकार के रूप में माना, क्योंकि जीवन, स्वास्थ एवं परिस्थिती का लोगों के लिए ज्यादा महत्व है। {सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य 1990} में सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण से मुक्त जल एवं वायु के उपभोग को अनु. 21 में सम्मिलित माना, 1990 के दशक में इस भावना को ज्यादा बल मिला।

पर्यावरण संरक्षण की अंतर्राष्ट्रीय स्थिति– 1948 के UDHR में पर्यावरण संरक्षण नहीं था पर ICESCR 1966 के अनु. 12 (2) में पर्यावरण विकास की बात की गई हैं, परंतु इस संबंध में वैज्ञानिकों ने 1971 को विश्वव्यापी चर्चा की तथा पर्यावरण के बदलाव, नियंत्रण और स्वास्थ की चिंता की। (1) विभिन्न प्रयास– 1. सन् 1969 में नाटों राष्ट्रों ने मानवीय पर्यावरण की संरक्षा, तथा, जल, वायु प्रदूषण रोकने हेतु प्रयास किया 2. सन् 1963 में जैव समस्या पर अंतर्राष्ट्रीय जैव कार्यक्रम हुआ। 3. सन् 1961 में वन्य जीवों के संरक्षण हेतु ''विश्व वन्य जीव कोष'' की स्थापना की गई। 4. सन् 1971 में युनेस्को कार्यक्रम हुआ जिसमें पर्यावरण सुधार की बात कही गई। (2) स्टॉकहोम घोषणा–(1972) इस दस्तावेज को पर्यावरण संरक्षण का ''मैग्नाकार्टा'' कहा जाता है, 5 जून से 16 जून 1972 को यह संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन स्वीडंन के स्टॉकहोम में 119 देशों ने 26 पर्यावरण सिद्धांत प्रतिपादित किया तथा ''एक ही पृथ्वी'' सिद्धांत को स्वीकार किया। इस सम्मेलन का उद्देश्य– ''अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानव पर्यावरण के संरक्षण तथा सुधार की विश्वव्यापी समस्या का निदान करना था।'' स्टॉक सम्मेलन के मुख्य योगदान–1. मानव पर्यावरण पर घोषणा 2. मानव पर्यावरण पर कार्य करने की योजना 3. संस्थागत तथा वित्तीय व्यवस्थाओं पर प्रस्ताव 4. विश्व–पर्यावरण दिवस की घोषणा पर प्रस्ताव 5. आणविक अस्त्रों के परीक्षण पर प्रस्ताव 6. दूसरा सम्मेलन बुलाए जाने का प्रस्ताव और 7. राष्ट्रीय स्तर पर कार्यवाही हेतु संस्तुतियों को सरकारों को भेजने के संबंध में निर्णय आदि प्रमुख है।

कमियाँ– इसमें एजेंसी तथा कार्यान्वयन तंत्र की कमी थी फंड भी नहीं था वहीं कर्तव्यों का निर्धारण नहीं किया गया था तथा ओजोन समस्या की ओर ध्यान नहीं दिया गया। 3. नैरोबी सम्मेलन(1978)– सन् 1978 में पृथ्वी पर मानव के आवास एवं जीवन स्तर की गुणवत्ता बनाने हेतु 'हेबिटाट संस्था' का गठन किया गया। पर्यावरण संकट पर राष्ट्रों के दायित्वों को दोहराया गया वहीं ''पृथ्वी दिवस 1990'' ने विश्व में पर्यावरण की जागृति में काफी योगदान दिया। 4. रियो घोषणा या पृथ्वी सम्मेलन (1992)– ब्राजील की राजधानी ''रियो दि जेनिरो'' में ''एक ही पृथ्वी'' सिद्धांत को 178 देशों की सरकारों ने माना एवं पर्यावरण प्रदूषण रोकथाम के लिए एग्रीमेंट किया, तथा राष्ट्र के अलावा नागरिकों को जागरूक बनाने को कहा। 5. क्योटो सम्मेलन (1997)– जापान में 150 देशों में वैश्विक तापन को कम करने के लिए सहमति की तथा कहा कि कार्बन डाय ऑक्साइड के प्रतिशत को कम किया जाये। 6. हेग सम्मेलन (2000)– इस सम्मेलन में क्योटो सम्मेलन की प्राप्ति की बात कही गयी। 7. दिल्ली सम्मेलन (2002)– इसका मुख्य उद्देश्य उत्तर–दक्षिण और दक्षिण–दक्षिण (विकसित राज्यों) के सहयोग से ग्लोबल वार्मिंग के फलस्वरूप कृषि प्रभाव पर चर्चा हुयी। 8. यूरो मानक– यूरोपीय संघ द्वारा मोटर–वाहनों के धुंआ से होने वाले वायु प्रदूषण के लिये 1992 में यूरो I मानक, 1996 में यूरो II मानक तथा सन् 2000 में यूरो III मानक लागू किया। ताकि प्रदूषण पर रोकथाम हो सके। 9. एजेण्डा 21– यह पृथ्वी सम्मेलन का दस्तावेज हैं इसमें जीवन तथा पोषणीय विकास चर्चित रहे। उपरोक्त सम्मेलन के अलावा पर्यावरणीय

*अतिथि विद्वान (विधि), शासकीय नवीन विधि महाविद्यालय, इन्दौर, मध्यप्रदेश

विषय पर कई 'अन्तर्राष्ट्रीय विधि हेतु' सम्मेलन हो चुके हैं।

पर्यावरण संरक्षण की भारतीय स्थिति–(1) संविधान– संविधान के अंतर्गत पर्यावरण का ''संरक्षण करना तथा संवर्धन करना'' राज्य का ही नहीं बल्कि नागरिकों का भी कर्तव्य हैं– अ. नीति निदेशक तत्व के रूप में– अनु. 48ए. में यह उल्लेख है कि –''राज्य, देश के पर्यावरण की सुरक्षा तथा उसमें सुधार करने और वन तथा वन्य जीवों के रक्षा का प्रयास करेगा।'' ब. मूल–कर्तव्य के रूप में– अनु. 51(क)जी में कहा गया कि ''भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा एवं उसका संवर्धन करें। स. मूल अधिकार के रूप में– पर्यावरण प्रदूषण के विरूद्ध संरक्षण को सीधे तौर पर तो मूल अधिकार नहीं माना गया था, परंतु उच्चतम न्यायालय ने विभिन्न निर्णयों द्वारा प्रतिपादित कर दिया हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को पर्यावरण प्रदूषण के विरूद्ध संरक्षण का अधिकार अनु. 21 के तहत एक मूलाधिकार हैं तथा इसके लिए अनु. 32 एवं 226 के तहत उपचार उपलब्ध हैं। अनु. 21 में पर्यावरण के विस्तार का आधार– न्यायिक सक्रियता एवं जनहितवाद रही हैं जिसके आधार निम्नलिखित है–1. अवरोध संतुलन का सिद्धांत, जिसमें न्यायपालिका अन्य दो शक्ति को कर्तव्य बताकर संतुलन बनाती है। 2. सम्यक् प्रक्रिया, जो उचित न्यायपूर्ण हो, न्याय हो ही नही बल्कि न्याय होते हुए दिखना भी चाहिए। आदि पर आधारित है। 3. पर्यावरण की स्थिति लोकहित की हैं अतः लोकस स्टैण्डाई के नियम का उदारीकरण किया गया। 4. निर्वचन में ''स्वर्णिम नियम'' का खुलकर प्रयोग किया गया । 5. प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त को सर्वोपरी माना गया। 6. अनु.51 के तहत अंतर्रा ट्रीय हिंतो को बढ़ावा देने वाले निर्णयों एवं मानव की सुरक्षा का खयाल रखने वाले निर्णयों का महत्व बढ़ा। {एम.सी.मेहता बनाम भारत संघ 1987} के मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिध ारित किया कि संविधान के अनु. 21 के अंतर्गत प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के साथ स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार भी शामिल है।

(2) पर्यावरण संरक्षण संबंधी मुख्य विधियाँ–भारतीय दंड संहिता,1860 –इसकी धारा 268 से 294क लोकस्वास्थ्य, क्षेम शिष्टाचार संबंधी हैं वहीं अनु. 268 लोक उपताप बताती है तथा धारा 290 में दण्ड हैं, धारा 277 एवं 278 का प्रयोग जल, वायु प्रदूषण निवारण के लिए होता हैं। **दण्ड प्रक्रिया संहिता,1973** इसकी धारा 133 से 134 तक, वायु, जल तथा ध्वनि प्रदूषित करने वाले लोक न्यूसेंस के निवारण तथा नियंत्रण के लिये शीघ्र उपचार प्रदान करती है। {रतलाम नगर पालिका बनाम बरदीचन्द्र 1980} यह पर्यावरण का प्रधान मामला था न्यायालय ने रतलाम नगर पालिका और राज्य सरकार को अल्कोहल प्रदूषण को दूर करने का आदेश दिया था।

अपकृत विधि– में न्यूसेन्स, अतिचार, उपेक्षा एवं कठोर दायित्व के सिद्धांत से पर्यावरण सुरक्षा तथा प्रतिकर प्राप्त किया जा सकता है। {राइलैण्ड बनाम फ्लेचर 1868}

अन्य मुख्य विधियाँ– 1. पर्यावरण (सरंक्षण) अधि. 1986 2. जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974, 3. वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधि. 1981, 4. भारतीय वन अधि. 1927, 5. वन्य जीवन अधि. 1972, 6. कारखाना अधि. 1948, 7. परमाणु उर्जा अधि. 1962, 8. कीटनाशक अधि. 1968, 9. मोटरयान अधि. 1988 आदि है।

पर्यावरण हेतु न्यायपालिका का योगदान– अनु. 32 एवं 226 में दी पाँच रिट में परमादेश, उत्प्रेषण और प्रतिशोध पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिये उपचार उपलब्ध कराती है। इससे सम्बन्धित प्रमुख मामले निम्नलिखित है–1. {एम.सी. मेहता बनाम भारत संघ 1986} के मामले में दिल्ली आवासीय क्षेत्र की ओलीयम गैस फैक्ट्री पर उच्चतम न्यायालय ने रोक लगाई जिसमें पर्याप्त सुरक्षा उपाय नहीं अपनाए गए थे। 2. { एम.सी.मेहता बनाम भारत संघ 1988} के मामले में कानपुर के पास स्थित चर्मशोधन शालाओं को तुरंत बंद करने को कहा गया क्योंकि गंगा नदी के साथ स्वास्थ, परिवेश की हानी हो रही थी। 3. {चरणलाल साहू बनाम भारत संघ 1990} में सुप्रीम कोर्ट ने कहा ''मानव अधिकारों के हमारे राष्ट्रीय आधारों के संदर्भ में प्राण, स्वतंत्रता, प्रदूषण मुक्त वायु, जल का अधिकार संविधान के अनु. 21, 48(ए), 53(ए) के अधीन प्रत्याभूत है। राज्य का कर्तव्य है कि वह इनका संरक्षण करें।'' 4. {सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य 1991} के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रदूषण मुक्त जल और वायु के उपयोग का अधिकार अनु. 21 में प्रदत्त प्राण के अधिकार के तहत शामिल है। 5. {इण्डियन काउन्सिल फॅार इनवाइरनमेन्टल लीगल एक्सन बनाम भारत संघ 1996} के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनु. 48ए के तहत केन्द्र तथा राज्य का कर्तव्य है कि वह पर्यावरण संरक्षण हेतु कदम उठाएँ एवं पर्यावरण शिक्षा को चालू करें। 6. {विल्लोर सिटिजन्स वेलफेयर फोरम बनाम भारत संघ 1996} के मामले में प्रतिकर के सिद्धांत को लागू करते हुए कहा गया कि पर्यावरण से प्रदूषित व्यक्ति को प्रतिकर दिया जाये तथा प्रदूषण करने वाले से वसूला जाये एवं इसके लिए ''प्रदूषण संरक्षण फण्ड'' में राशि जमा की जायेगी। 7. {एम.सी.मेहता बनाम भारत संघ1998}के मामले में दिल्ली के पुराने वाहनों से प्रदूषण बढ़ रहा था जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई तथा CNG वाहनों को चलाने की गाइड लाईन दी। 8. {इन री ध्वनि प्रदूषण 2005} के महत्वपूर्ण एवं दूरगामी प्रभाव वाले अपने निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने यह अभिनिर्धारित किया है कि अनु. 21 के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को ध्वनि प्रदूषण रहित वातावरण में जीवन बिताने का अधिकार है। जिसको अनु. 19(1)(9) में प्रदत्त अधिकार का प्रयोग करके विफल नहीं किया जा सकता है।

निष्कर्षः– पर्यावरण प्रदूषण को रोकना और विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास में बढ़ोत्तरी के लिए सामंजस्य बनाना आवश्यक हैं ताकि पोषणीय विकास हो सके। भारत एवं विश्व में पर्याप्त विधियाँ हैं जरूरत है सभी को जागरूक होने की। वही भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण सुधार के लिए प्रभावकारी निर्णय दिये जिससे पर्यावरण प्रदूषकों के होश उड़ गये है। यह भी एक सराहनीय कार्य है।

सन्दर्भ ग्रन्थ

1. विश्व प्रकृति निधि–भारत, पर्यावरण शिक्षा, भोपाल। 2. चतुर्वेदी, डॉ. मुरलीधर, भारत का संविधान, एकादस संस्करण,2006, इलाहाबाद लॉ एजेन्सी पब्लिकेशन्स। 3. पाण्डेय,डॉ. जय नारायण, भारत का संविधान, उनतालीसवॉं संस्करण,2006 सेन्ट्रल लॉ एजेन्सी, इलाहाबाद। 4. प्रसाद, डॉ. अनिरूद्ध, पर्यावरण एवं पर्यावरणीय विधि की रूपरेखा, तृतीय संस्करण,2005, सेन्ट्रल लॉ एजेन्सी, इलाहाबाद।